महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जुलाई, 2003

सं. टीएएमपी/27/2003-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत्‌द्वारा मूरिंग डॉल्फिन्स के उपयोग के लिए दर निर्धारण हेतु मुरगांव पत्तन न्यास के प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /27/2003- एमओपीटी

मुरगांव पत्तन न्यास **आवेदक**

आदेश

(जुलाई 2003 के 8 वें दिन पारित)

यह प्रकरण मूरिंग डाल्फिन्स के उपयोग के लिए दरें निर्धारित करने हेतु मुरगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है ।

2. एमओपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बिंदु उठाए हैं :-

(i) इसने 6.97 करोड़ रुपयों की लागत से 3 मूरिंग डाल्फिन्स का निर्माण किया है जिन्हें कार्यरत कर दिया गया है और कार्गो के प्रहस्तन के लिए पत्तन उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है ।

(ii) वर्तमान दरमान के अनुसार ईस्ट ऑफ ब्रेकवाटर शीर्षक के अधीन कार्गो की उतराई / लदाई या यात्रियों को चढ़ाने और उतारने में लगे पोतों के लिए "लंगर गाह शुल्क के संबंध में पोत संबंधी प्रभार की धारा सी (II)(2) के अन्तर्गत प्रदत्त दर मूरिंग ब्वायज़ में प्रहस्तित पोतों पर भी लागू हैं । जैसाकि मूरिंग डॉल्फिन्स के माध्यम से रचित नई सुविधाएं मूरिंग ब्वायज़ की सुविधाओं की समानार्थी हैं और कार्गो के प्रहस्तन के लिए पोतों द्वारा उपयोग किया जाएगा, प्रस्ताव किया जाता है कि प्रभारों को उसी दर पर एकत्रित किया जाए तो ईस्ट ऑफ ब्रेकवाटर्स के मूरिंग ब्वायज़ पर प्रहस्तित पोतों पर लागू है, फिर चाहे पोत लदाई / उतराई में लगा हो या बेकार हो ।

(iii) प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था, न्यासी मंडल के अनुमोदन से अनन्तिम रूप से पहले ही प्रवर्तित कर दी गई है ।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमओपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित कर दिया गया था ।

4. इस प्रकरण में 17 जून 2003 को एक संयुक्त सुनवाई एमओपीटी परिसर में हुई थी । उस संयुक्त सुनवाई में एमओपीटी और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे ।

5. बाद में, एमओपीटी ने मूरिंग डॉल्फिन दर अनुसूची अग्रेषित कर दी और अनुरोध किया कि निम्नलिखित नोट धारा सी-लंगरगाह भाड़ा और लंगरगाह प्रभार I और II को समान नोट्स के अन्तर्गत दरमान में सम्मिलित किया जाए :

> *"14. मूरिंग डाल्फिन्स में कार्गो प्रहस्त कर रहे या बेकार खड़े पोतों को धारा सी (ii) की मद सं. 2 के अन्तर्गत निर्धारित लंगरगाह प्रभारों का भुगतान करना होगा । लंगरगाह प्रभारों के अतिरिक्त, मूरिंग डॉल्फिन्स का उपयोग करने वाले पोत धारा सी - लंगरगाह भाड़ा और लंगरगाह प्रभार के नोट सं. 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार का भुगतान भी करेंगे।"*

6. इस प्रकरण में परामर्श लेने से संबंधित प्रक्रियाएं इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध है । संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियां उनके द्वारा दिए गए तर्कों के अंश प्रासंगिक पक्षों को अलग भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट - www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध होंगे ।

7. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :

(i) एमओपीटी ने स्पष्ट किया है कि इसके द्वारा प्रदत्त मूरिंग डॉल्फिन्स पोतों को बेहतर स्थिरता प्रदान करती है और खराब मौसम में भी कार्गो प्रचालन की सुविधा प्रदान करती है । उपयोगकर्त्ताओं ने सर्वसम्मति से यह भी स्वीकार किया है कि मूरिंग डॉल्फिन्स में, मूरिंग ब्वायज़ में प्रचालनों की तुलना में पोत तीव्रतर गति से इधर-उधर घूम जाते हैं। यद्यपि बेहतर सुविधा प्रदान की जाती है, एमओपीटी ने मूरिंग डॉल्फिन्स के मामले में मूरिंग ब्वायज़ की वर्तमान दरें रखने का प्रस्ताव किया है । यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उपयोगकर्त्ता एमओपीटी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एकमत हैं ।

(ii) वर्तमान दरमान मूरिंग ब्वायज़ बेकार खड़े रहने के लिए और कार्गो-प्रचालन के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करता है । मूरिंग डॉल्फिन्स के मामले में एमओपीटी ने इस भेदभाव को दूर करने और मूरिंग डॉल्फिन्स में कार्गो प्रचालन के लिए लागू दर को अपनाने का प्रस्ताव किया है । इस तथ्य के अतिरिक्त कि उपयोगकर्त्ताओं ने इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है । एमओपीटी का प्रस्ताव न्यायोचित लगता है क्योंकि मूरिंग डॉल्फिन्स की सुविधा का भारी निवेश से निर्माण बीच जलधार में कार्गो प्रचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए, न कि बेकार में लंगर डालने के स्थान के रूप में किया गया है ।

(iii) एमओपीटी ने अपने प्रस्ताव में 8-8 घण्टों के एककों पर लागू दरें विनिर्दिष्ट की हैं । इस प्राधिकरण ने लंगरगाह भाड़े, लंगरगाह प्रभार आदि के वर्तमान 8 घण्टे के एकक को 1 जून 2003 से 1-1 घण्टे के आधार पर परिवर्तित करने का आदेश पहले ही दे दिया है । उसके वैसा होते हुए, मूरिंग ब्वायज़ के लिए लागू प्रति घंटा दरें 1 जून 2003 से मूरिंग डाल्फिन्स पर भी समान रूप से लागू होंगी ।

(iv) मूरिंग डाल्फिन्स की सुविधा एमओपीटी द्वारा 31जनवरी 2003 को कार्यरत कर दी गई थी और मूरिंग डॉल्फिन्स के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था, उनके द्वारा, अपने न्यासी मंडल के अनुमोदन से अनन्तिम रूप से लागू कर दी गई है । जैसाकि यह सुविधा 31 जनवरी 2003 से उपयोग में लाई जा रही है और नई-नई सुविधाओं के लिए केवल वर्तमान दरें ही अपनाई गई हैं, यह प्राधिकरण एमओपीटी का प्रस्ताव पिछले समय अर्थात 31 जनवरी 2003 से अनुमोदन प्रदान करने को प्रवृत्त है ।

8. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एमओपीटी के दरमान के I और II के लिए समान नोटों के अन्तर्गत धारा सी लंगरगाह भाड़ा और लंगरगाह प्रभार भाग I में निम्नलिखित खंड को पिछले समय से अर्थात 31 जनवरी 2003 में सम्मिलित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है :-

"14. मूरिंग डाल्फिन्स में कार्गो प्रहस्तन कर रहे या बेकार खड़े पोत धारा सी (II) की मद सं. 2 के अन्तर्गत निर्धारित लंगरगाह प्रभार का भुगतान करेंगे । लंगरगाह प्रभार के अतिरिक्त मूरिंग डॉल्फिन्स का उपयोग करने वाले पोत धारा सी-लंगरगाह भाड़ा और लंगरगाह प्रभार के नोट सं. 9 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार का भुगतान भी करेंगे ।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा.]